

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

मान अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी  
उनवान

देवाराम पुत्र वेनाजी कौम जाट निवासी राजपुरा  
बनाम

जसाराम पुत्र वेनाजी जाट निवासी मांडीगढ़

दावा बाबत - बंटवारा राजकाशत 0 अधि 0 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 3/16

निर्णय दिनांक :- 09.05.2016

वादी देवाराम पुत्र वेनाजी कौम जाट निवासी मांडीगढ़ व प्रतिवादी जसाराम पुत्र वेनाजी जाट निवासी मांडीगढ़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.05.2016 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

देवाराम पुत्र वेनाजी कौम जाट सा.माण्डीगढ़ खातेदार के नाम ग्राम राजपुरा पटवार वृत्त मांडीगढ़ तहसील देसूरी के ख.न 961 रकबा 0.25 है. किस्म न.अ. लगान 4.25 व जसाराम पुत्र वेनाजी कौम जाट सा.माण्डीगढ़ खातेदार के नाम ग्राम राजपुरा पटवार वृत्त मांडीगढ़ तहसील देसूरी के ख.न 961/1 रकबा 0.25 है. किस्म न.अ. लगान 4.25 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। चर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 09.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
प्रभारी अधिकारी लोक अदालत/केम्प .....  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी  
दिनांक

क्रमांक/शिविर/2016/

प्रतिलिपि :-

1.तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

(पीठासीन अधिकारी)  
लोक अदालत  
प्रभारी अधिकारी लोक अदालत/केम्प .....  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी